NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

सूचना का अधिकार

(Right to Information)

B.P.A.E.-141

B.A. General - 5th Semester

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Mahima Singh*

NEERAJ
PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878
E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

सूचना का अधिकार

(Right to Information)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1
Question Paper—December-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) 1
Sample Question Paper–1 (Solved) 1
Sample Question Paper–2 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

सूचना का अधिकार : एक परिचय
(Right to Information : An Introduction)

1. सूचना का अधिकार : विकास, अवधारणा, उपलब्धियाँ और सीमाएँ 1
(Right to Information: Evolution, Concept, Achievements and Limitations)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(The Right to Information Act, 2005)

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : एक अवलोकन 12
(The Right to Information Act, 2005: An Overview)
3. सूचना का अधिकार नियम (The Right to Information Rules) 20
4. केन्द्रीय सूचना आयोग (The Central Information Commission) 30
5. राज्य सूचना आयोग (The State Information Commission) 39

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन : मुद्दे और चुनौतियाँ
(Implementation of the Right to Information Act, 2005: Issues and Challenges)

6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व : मुद्दे और चुनौतिया 47
(Administrative Efficiency, Transparency and Accountability through the Right to Information Act, 2005: Issues and Challenges)

7. केन्द्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोक प्राधिकरणों की भूमिका : अपेक्षाएं और बाध्यताएं (Role of the Central Information Commission, State Information Commissions and Public Authorities: Expectations and Constraints) 56

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : जिला स्तर पर कार्यान्वयन में बाध्यताएं (The RTI Act, 2005: Constraints in Implementation at the District Level) 66

9. मीडिया की भूमिका (Role of Media) 76

10. नागरिक समाज संगठनों की भूमिका (Role of Civil Society Organisations) 88

सूचना के अधिकार के माध्यम से सुशासन की ओर : पहल और प्रभाव
(Towards Good Governance Through Right to Information: Initiatives and Impact)

11. शासन के लिए सूचना के अधिकार का महत्त्व (Significance of Right to Information for Governance) 96

12. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय : सूचना का अधिकार प्रवर्तन को सुगम बनाने के साधन (Judgements of the Supreme Court and High Court: Instrument for facilitating the RTI Enforcement) 106

13. सर्वोत्तम पद्धतियां और सफलता : पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रयास (Good Practices and Success: Efforts to realise Transparency and Accountability) 116

14. सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) 129

15. सूचना का अधिकार : अधिकारों और उनके प्रवर्तन के बीच अंतराल घटाना (RTI: Bridging the gap between Rights and their Enforcement) 143

■ ■

Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

सूचना का अधिकार

B.P.A.E.-141

(Right to Information)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक* ***समान*** *हैं।*

खण्ड-I

प्रश्न 1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-1, पृष्ठ-4, प्रश्न 4

प्रश्न 2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए अपील को किस आधार पर खारिज किया जा सकता है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-24, प्रश्न 4

प्रश्न 3. राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और निलंबन से संबंधित प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-41, प्रश्न 2, पृष्ठ-42, प्रश्न 3

प्रश्न 4. जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-70, प्रश्न 4

खण्ड-II

प्रश्न 5. सामाजिक ऑडिट आयोजित करने में प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-135, प्रश्न 5

प्रश्न 6. मीडिया के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के महत्त्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-80, प्रश्न 5

प्रश्न 7. ''अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आर. टी. आई. और इसकी प्रवर्तनीयता के बीच के अंतर को मिटाना आवश्यक है।'' जाँच कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-146, प्रश्न 3 एवं प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(क) सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-117, 'सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण'

(ख) आर.टी.आई. पर लोक जागरूकता उत्पन्न करने वाली पहलकदमियाँ

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-118, 'जनजागरूकता उत्पन्न करने की पहल'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

सूचना का अधिकार

B.P.A.E.-141

(Right to Information)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक* ***समान*** *हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-40, 'राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य'

प्रश्न 2. सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-24, प्रश्न 3

प्रश्न 3. केन्द्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और निलंबन संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-32-33, प्रश्न 2 तथा प्रश्न 3

प्रश्न 4. सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में भारत में लोक प्राधिकरणों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-59, प्रश्न 2

भाग-II

प्रश्न 5. जिला स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए तथा बाधाओं को हटाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-8, पृष्ठ-70, प्रश्न 4, पृष्ठ-71, प्रश्न 5

प्रश्न 6. सूचना के अधिकार के विकास में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-91, प्रश्न 2, पृष्ठ-92, प्रश्न 3

प्रश्न 7. सामाजिक ऑडिट के संचालन में शामिल नवीन प्रणालियों पर प्रकाश डालिए और इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-134, प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(क) आर.टी.आई. कानून बनाने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-10, पृष्ठ-94, प्रश्न 5

(ख) परियोजना 'सारथी'

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-13, पृष्ठ-117, '(2) सारथी परियोजना', पृष्ठ-124, प्रश्न 3

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

सूचना का अधिकार
(Right to Information)

सूचना का अधिकार : एक परिचय
(Right to Information : An Introduction)

सूचना का अधिकार : विकास, अवधारणा, उपलब्धियाँ और सीमाएँ
(Right to Information: Evolution, Concept, Achievements and Limitations)

1

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

परिचय

"सूचना" लोकतंत्र का अति आवश्यक उपकरण है। सूचना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता, सरकारी कामकाज में लोगों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। सूचना की स्वतंत्रता से तात्पर्य है किसी भी राज्य के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सूचना तक पहुँच, प्रत्येक नागरिक की अनोखी क्षमता, जो सूचना अधिनियम उन्हें देता है, जिससे वे राज्य के शासक से उस राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी योजनाओं के बारे में सूचना माँग सकते हैं। इस खंड में सूचना के विकास, उसके दार्शनिक पहलू और उसके प्रभाव के साथ इसके कानून बनने के पहले और बाद में क्या चुनौतियाँ हैं, जो इसके सामने आई हैं, उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा।

अध्याय का विहंगावलोकन

सूचना का अधिकार : विकास

सूचना का अधिकार लोकतान्त्रिक समाज के लिए एक तरह से ऑक्सीजन है। सूचना के अधिकार के बारे में सबसे पहले स्वीडन ने नियम बनाया। 1766 में सूचना की स्वतंत्रता को, यहां अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया गया। सूचना के सबसे पुराने कानून को 'स्वीडिश स्वतंत्रता' कहा जाता है। नई विश्व व्यवस्था में सबके कल्याण के लिए बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले सत्र में प्रस्ताव 59(1) में इसे अपनाया गया था, जिसमें कहा गया कि "सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है।' अमेरिका में सूचना के अधिकार का उदय न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम यूएस (1971) के मामलों से प्रकाश में आया। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में जनहित और सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने 'जानने के अधिकार" को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार में निहित रखा था। भारत में "मजदूर किसान शक्ति संगठन" (MKSS) और सूचना के अधिकार लिए राष्ट्रीय अभियान (NCPRI), भारतीय प्रेस परिषद् (PCI) और अन्य संस्थानों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन ने सूचना के अधिकार को कानून का रूप देने की माँग की। भारत में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया। सूचना का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों सहित ग्रामीण स्तर के निकायों को भी अपने दायरे में शामिल करता है या अपने में समाहित किए हुए है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 'सूचना' शब्द का अर्थ है 'किसी भी उपकरण या विभाग में कोई भी सामग्री, जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, परामर्श, प्रेस विज्ञापन और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने और डाटा सामग्री सूचना है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुलभ सूचना का अधिकार है, किसी भी सार्वजनिक निकाय नियंत्रण में है। इसमें हैं–(क) कार्य, दस्तावेज, अभिलेख का निरीक्षण, (ख) दस्तावेजों की टिप्पणियाँ या प्रमाणित प्रतियाँ लेना, (ग) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में, प्रिन्ट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना आदि।

सूचना का अधिकार : अवधारणात्मक विश्लेषण

'सूचना' शब्द लैटिन भाषा के 'फार्मेशन' तथा फॉर्म से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी विचार को आकार देना तथा एक प्रतिरूप बनाना। इसके बारे में विद्वानों के अनेक विचार हैं। जैसे

फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि "ज्ञान वह शक्ति है, जो सूचना से आती है।" डेसकार्टेस ने ज्ञान का सिद्धांत 'संदेह की विधि' पर दिया। जॉन लॉक जैसे अनुभववादी विद्वान मानते थे कि मानव कोई दिव्य प्राणी है, जिसके पास इस दुनिया में आने से पहले विचार निर्धारित हैं। ज्ञान अनुभव आधारित होता है इसलिए किसी व्यक्ति के ज्ञान को उसके अनुभव से अलग नहीं किया जा सकता है। मानव के मन और विचार को समृद्ध करने के लिए जानकारी आवश्यक है। जॉन मिल्टन ने अपनी पुस्तक 'एरियोपैगिटिया' में सूचना के दार्शनिक पक्ष को समझाया। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मन को पोषित करने के लिए जानकारी जरूरी है, इसके बिना किसी भी चीज से सही और गलत का आंकलन संभव नहीं। मैडिसन इसे "खुलेपन के शक्तिशाली' का तक देते हैं। बार्लो जॉन ने सूचना की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने जानकारी की अवधारणा के कई रूप बताए हैं, जैसे–(1) सूचना एक गतिविधि है, यह मन में उत्पन्न होती है और चलती रहती है। (2) सूचना एक जीवन रूप है। सूचना में कुछ खूबियाँ होती हैं, जो इसे एक जीवित प्राणी के साथ तुलना योग्य बनाती हैं। (3) सूचना एक संबंध है क्योंकि इसका मूल्य है, इसलिए सूचना पैसा है। सूचना आधुनिक संपदा के निर्माण के लिए उद्देश्य है।

सूचना का अधिकार (उपलब्धियाँ)

सूचना का अधिकार 2005 के निर्माण का उद्देश्य है, न्यूनतम छूट के साथ अधिकतम प्रकटीकरण, यानी कम शुल्क का भुगतान करें और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इस अधिनियम की धारा 6(2) में यह कहा गया है कि सूचना माँगने के लिए आवेदक को अपनी सूचना के लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं, सिवाय इससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। सूचना के अधिकार की उपलबधियों को इस प्रकार देखा जा सकता है–

(क) सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम–सूचना का अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा का एक साधन है। यह किये जा चुके सरकारी सेवाओं के प्रावधानों में जो व्यावहारिक अंतर है, उसका पता लगाने के लिए धरातल पर प्रचलित सूचना को प्राप्त कर सरकारी संस्थानों को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार देता है।

(ख) यह सामाजिक परिवर्तन का साधन है। सूचना कानून भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने में सहायक है।

(ग) घोटालों और विसंगतियों को उजागर करना–(1) आदर्श सोसायटी घोटाला, जो 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं के लिए बनी छह मंजिला इमारत आदर्श हाउसिंग सोसाइटी 31 मंजिला में परिवर्तित हो गई। मुंबई स्थित यह सोसायटी शहीदों की विधवाओं के निवास की बजाय राजनेता और सेना के बड़े अधिकारियों का निवास बन गई।

(2) एमसीडी द्वारा दिल्ली में तोड़-फोड़–दिल्ली स्थित एनजीओ 'परिवर्तन' ने सूचना के अधिकार का उपयोग कर एमसीडी द्वारा तोड़-फोड़ की सम्पूर्ण प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया गया। इस एनजीओ ने कहा कि जहां कुछ बिल्डिंगों को पूरी तरह तोड़ दिया गया, वहीं कुछ को मामूली क्षति के साथ क्यों छोड़ा गया। सूचना अधिकार के तहत एनजीओ ने पूछा कि ऐसे निर्णय किन दिशा–निर्देशों के अभाव में लिए गए, जो आगे भ्रष्टाचार का आधार बनेंगे।

सूचना का अधिकार : सांविधिक सीमाएँ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को सूचना माँगने से प्रतिबंधित नहीं करती, जो कि लोक कल्याण की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इस अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं, जो जानकारी देने पर प्रतिबंध लगाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में लिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह प्रतिबंध भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, विदेशों से मैत्री संबंध के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के लिए लगाया जाता है।

सूचना अधिनियम की धारा 8(1) इस अधिनियम में प्राधिकरण को किसी भी बात की जानकारी होने पर भी, इसे किसी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा। सूचना जिसे किसी अदालत द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप में मना किया गया है। वह सूचना जिसके प्रकट होने से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है, आदि सूचना कानून पर प्रतिबंध हैं। (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और उपधारा (1) के अनुसार किसी भी छूट के होने पर भी लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकट सूचना में लोकहित संरक्षित हितों के लिए हानि से अधिक है।

अध्यारोही खंड अधिनियम 2005 की धारा 22–नागरिकों के लिए विधायिका ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 में एक गैर-अवरोधक खंड बनाया है, जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 पर और किसी अन्य समय में लागू किसी अन्य कानून या किसी भी साधन में असंगत होते हुए भी प्रभावी होगा।

अन्य विधियों के तहत सीमाएँ/बाधाएँ–शासकीय गुप्त अधिनियम (OSA), 1923 अधिनियमित किया गया था। यह भारत सरकार का गुप्तचर्चा विरोधी अधिनियम है। सरकारी सेवकों और नागरिकों पर लागू यह कानून राजद्रोह और राष्ट्र की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872), परमाणु ऊर्जा अधिनियम, (1962) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में भी व्यक्ति के दस्तावेज संबंधी जानकारी को उसकी सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में सूचना के अधिकार की उत्पत्ति की चर्चा कीजिए।

उत्तर–नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक उपकरण है। यह भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में हमेशा से निहित था। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ सूचना का अधिकार, प्रेस की आजादी और भाषण की शक्ति भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है, परन्तु भारतीय नागरिकों को इस अधिकार का ज्ञान ही नहीं था। सरकार की गोपनीयता को बचाने के लिए सरकार ने नागरिकों को जागरूक नहीं किया कि उनको क्या-क्या अधिकार हैं, जिनकी सहायता से देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन और सामाजिक बुराईयों से लड़ना आसान हो जाता है। एक जवाबदेह सरकार की अवधारणा का प्रत्यक्ष रूप सूचना के अधिकार से ही दिखाई देता है।

भारत में व्याप्त विषमता और असमानता विश्व परिदृश्य में आए व्यापक आधुनिकीकरण और कम्प्यूटर युग के साथ दुनिया के देशों में सूचना को अधिकार के रूप में संविधान में स्थान देने से शुरू हुई। 1766 में सूचना की स्वतंत्रता को स्वीडन देश ने अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया था। सूचना के सबसे पुराने कानून को 'स्वीडिश स्वतंत्रता' कहा जाता है। सूचना का अधिकार 1946 में नई विश्व व्यवस्था में सबके कल्याण के लिए बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले सत्र में प्रस्ताव 59(1) में इसे अपनाया गया था, जिसमें कहा गया कि "सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। अमेरिका में सूचना के अधिकार का उदय यूएस बनाम द प्रोग्रेसिव इंक (1979) और न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम यूएस (1971) के मामलों से प्रकाश में आया। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में जनहित और सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने 'जानने के अधिकार" को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा था। जिसकी पुष्टि न्यायपालिका करती है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान और जनहित की रक्षक है।

भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) और सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (NCPRI), भारतीय प्रेस परिषद् (PCI) और अन्य संस्थानों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्तर के अभियानों ने सूचना के अधिकार को कानूनी रूप देने की मांग की, जिससे जनता सरकार की नीति और शासन को बेहतर समझ सके। 2002 में संसद ने इस ओर ध्यान दिया, पर विधायिका में पारित होकर भी यह अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाया। 2002 का सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून और सामाजिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण विकास के रूप में माना गया। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया, जिसे राज्य में सुशासन को लाने के प्रयास में महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारत में सरकार के गोपनीयता और नियंत्रण की संस्कृति को पारदर्शी और भागीदारी के साथ स्थानांतरित किया। सूचना का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण निकायों और संस्थानों को भी अपने दायरे में लेता है। यह अधिनियम भारत के नागरिकों को पारदर्शिता, जवाबदेह और सुशासन की समझ के लिए सूचना प्रदान करता है। अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर जनता को स्वयं सूचना देने और उसके पास उपलब्ध दस्तावेज की श्रेणियों सहित संगठन से जुड़े विभिन्न विवरण को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भी देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी प्राधिकरण के कार्य, दस्तावेज, अभिलेख का निरीक्षण करना है। दस्तावेज या अभिलेख की टिप्पणियाँ, सार या प्रमाणित प्रतियां लेना, सूचना सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना आदि। अभिलेख को डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में, प्रिन्ट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।

प्रश्न 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर–भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसमें यह कहा गया है कि हर नागरिक को बोलने की आजादी है। भारतीय संविधान से मिली बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, हर समुदाय का अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। बोलने की आजादी में सूचना प्राप्त करने और उसे छापने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है। जिसे 1973 के यूपी बनाम राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनता को जानने का अधिकार कहकर संबोधित किया। एक व्यक्ति के स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए ये सभी अधिकार जरूरी हैं। यह एक आजाद देश में स्वतंत्र अंत:करण और आत्मापूर्ति का एक साधन है। यह लोगों को सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर वाद-विवाद करने के लिए सक्षम बनाता है। इस स्वतंत्रता में प्रेस की आजादी भी शामिल है। प्रेस की तरह सूचना प्रसारित करना, उसे छापना और उसे नियंत्रित करने का अधिकार भी इसमें शामिल है।

इतिहास में कई बार प्रेस और मीडिया हाउस और स्वतंत्र पत्रकारों ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूचना के अधिकार के निर्माण में आंदोलन करने वाले मुख्य संस्थानों में से एक भारतीय प्रेस परिषद् भी है। यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) वर्सेस यूनियन

ऑफ इंडिया (2003) के केस में कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को सामाजिक और नैतिक बातचीत का केंद्र माना है। किसी भी जानकारी का प्रकाशन, उसे प्रसारित करना, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, यहां सूचना का अधिकार भी निहित है। एक भारतीय नागरिक को इसमें से किसी भी अधिकार को प्रयोग करने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं। इन मौलिक अधिकारों को केवल 19(2) में लिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंध द्वारा सीमित किया जा सकता है। जैसे देश की अखंडता और बौद्धिक संपदा या राजनयिक विषयों से जुड़ी जानकारी को छापना और प्रसारित करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं, एक राज्य और प्रशासन के पास जिससे 19(1)*(a)* सीमित होता है। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत का अप्रवासी है, मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिसमें सूचना का अधिकार दायर कर सकता है। संविधान का यह अनुच्छेद 19(धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर सहित) समस्त भारत में मौलिक अधिकार के रूप में मान्य है, जिसे राज्य का कर्त्तव्य भी कहा जाता है।

प्रश्न 3. सूचना के अधिकार की अवधारणा पर चर्चा कीजिए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–'सूचना' शब्द लैटिन भाषा के 'फार्मेशन' से बना है, जिसका अर्थ है, एक विचार या चीज को आकार देना। यह बोलने और अभिव्यक्ति से जुड़ा है। इसलिए सूचना एक तथ्य या आँकड़ा है, जो किसी व्यक्ति के विचार की अस्पष्टता को दूर करता है। इस संदर्भ में निम्नवत् विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ज्ञान वह शक्ति है, जो सूचना से आती है। वहीं जॉन लॉक यह नहीं मानते थे कि मानव एक दिव्य प्राणी है, जिसके पास इस दुनिया में आने से पूर्व ही एक विचार रहा होगा। मनुष्य का ज्ञान उसके अनुभव पर आधारित होता है इसलिए किसी व्यक्ति के ज्ञान को उसके अनुभव से अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि मनुष्य खाली दिमाग के साथ पैदा होता है। जन्मजात विचार और नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य अपनी पाँच इंद्रियों के उपयोग और प्रतिबिंब की क्रिया के द्वारा ही ज्ञान पाता है या इस प्रक्रिया से गुजरता है।

इस प्राप्त जानकारी के आधार पर हर व्यक्ति जीवन और संसार की व्याख्या करता है, इसलिए मानव के मन और विचार को आगे बढ़ाने के लिए जानकारी या सूचना आवश्यक है। 177 वर्ष पहले अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने कहा था कि "लोकप्रिय जानकारी और इसे पाने के साधन के बिना एक लोकप्रिय सरकार "एक त्रासदी" के समान है, जो लोग अपने स्वयं के शासक होने का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने आपको उस शक्ति से सुसज्जित करना चाहिए, जो ज्ञान देता है। लोकतंत्र में सूचना का अधिकार जन कल्याण के लिए आवश्यक है। इससे जनता और सरकार के मध्य विश्वास और पारदर्शी व्यवस्था का मार्ग विकसित होता है। सरकार और उसके विभाग से सूचना लेकर जनता कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे दोषों से अपनी रक्षा कर सकती है।

अभिव्यक्ति की आजादी और सूचना के अधिकार में अंतर–अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने, प्रिन्ट करने और प्रकाशित करने की आजादी है, जबकि सूचना की आजादी राज्य के अधिकारियों के अधिकार में जो सूचना है उस तक आम आदमी की पहुँच को दर्शाती है। यह नागरिक का अधिकार है कि वह अपने राज्य चालक से उसके राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों की सूचना माँग कर सकता है। जहां अभिव्यक्ति की आजादी एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है। वहीं, सूचना का अधिकार एक अधिनियमित वैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार व्यापक और विस्तृत है, जबकि सूचना का अधिकार सीमित और राज्य एवं संस्था की सूचना पर आधारित है।

प्रश्न 4. सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सूचना के अधिकार की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–भारतीय नागरिकों के लिए यह अधिनियम काफी शक्तिशाली उपकरण है। इसकी विशेषता यह है कि यह जन-जन के लिए सुलभ और काफी सरल है। सूचना के अधिकार 2005 में कानून बनने के बाद क्या-क्या बदलाव हुए, समाज और देश में इसकी कुछ उपलब्धियों को देखा जा सकता है। सूचना का अधिकार सामाजिक लेखा परीक्षा का एक सशक्त साधन है। यह सरकार द्वारा किये गए कार्यों और सेवाओं के प्रावधानों में जो व्यावहारिक अंतर है, उसका पता लगाने के लिए सूचना प्राप्त कर सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संस्थानों को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का हक देता है। यह सरकार और प्रशासन के विभागों, उनके स्थानीय निकायों, स्वायत्त संगठन और गैर-सरकारी संगठन में दिखने वाली निष्क्रियता, उत्पीड़न, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों के साथ ही चूक और आयोगों के दुर्व्यवहार और अनैतिक कर्मों को जनता और नागरिक समाज के सामने लाने का काम करता है। लेखा परीक्षा से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सरल और सहज बनाकर जनता को सूचना से जागरूक करके वंचित वर्ग और हाशिये की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

21वीं शताब्दी सूचना का युग है। आज समाज में सूचना के अधिकार से सशक्त नागरिक समाज में व्यापक बदलाव आये हैं। सूचना का अधिकार केवल मानवीय अधिकार नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र का एक उपयोगी उपकरण भी है। यह एक साधन है, जो सरकार के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से निपटने में जनता और सामाजिक नेताओं की मदद करता है। यह लोकतांत्रिक